



2026:AHC:175266

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**क्रि विविध अग्रिम जमानत धारा 482 बी. एन. एस. एस के अंतर्गत आवेदन संख्या**

**- 6756 वर्ष 2026**

गुलाबधर मिश्रा

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

---

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : उमा शंकर मिश्रा, विवेक शुक्ला

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आशुतोष मणि त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

---

**न्यायालय संख्या - 72**

**माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह,**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री विवेक शुक्ला, सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आशुतोष मणि त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद अफजल को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 157 वर्ष 2026, धारा 419, 420, 467, 468 एवं 471 भारतीय दण्ड संहिता, थाना गोपीगंज, जनपद भदोही में दाखिल किया गया है, जिसमें उसे अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है और उसे वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है; उसका कथित अपराध से कोई लेना-देना नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। आगे यह तर्क दिया गया है कि कथित घटना दिनांक 11.06.2012 और 11.07.2012 के बीच घटित होना कहा गया है, जबकि प्राथमिकी 14 वर्ष बाद दिनांक 23.04.2026 को अंकित की गई। प्राथमिकी अंकित किए जाने से पूर्व, आवेदक और सूचनाकर्ता के बीच दीवानी न्यायालय के साथ-साथ राजस्व न्यायालय में कई अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय. का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मुकदमे लंबित थे। आवेदक ने कोई दस्तावेज कूटरचित नहीं किया है और वसीयत उसके भाई/मृतक द्वारा उसके पक्ष में निष्पादित की गई थी। अभी दीवानी न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाना शेष है कि वसीयत निष्पादक द्वारा लिखी गई थी अथवा वह कूटरचित दस्तावेज थी। वर्तमान आवेदक के विरुद्ध *प्रथम दृष्टया कोई अपराध* गठित नहीं होता है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण या संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित किया जाएगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4. इसके विपरीत, राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा की गई प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि सूचनाकर्ता के पिता की वसीयत को कूटरचित किए जाने के आरोप हैं। सूचनाकर्ता अपने पिता की एकमात्र पुत्री हैं और आवेदक उसके पिता का भाई हैं, जिन्होंने एक कूटरचित दस्तावेज तैयार किया है। प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि दस्तावेज दिनांक 11.06.2012 को तैयार किया गया था, जबकि सूचनाकर्ता के पिता की मृत्यु दिनांक 12.06.2012 को हुई थी। कूटरचित दस्तावेजों को दिनांक 18.06.2012 को उप-निबंधक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, अर्थात् मृतक की मृत्यु के पश्चात और उसी को दिनांक 11.07.2012 को पंजीकृत कराया गया। आवेदक और दो अन्य सह-अभियुक्तों ने प्राथमिकी को निरस्त किए जाने के लिए क्रि विविध रिट याचिका संख्या 10540 वर्ष 2026 दाखिल की, जिसे वर्तमान आवेदक के संबंध में निरस्त कर दिया गया। तथापि, दिनांक 08.05.2026 के आदेश द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों को संरक्षण प्रदान किया गया।

5. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुना तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

6. वर्तमान प्रकरण में, मृतक की मृत्यु दिनांक 12.06.2012 को हुई, जबकि दस्तावेज दिनांक 18.06.2012 को उप-निबंधक, भदोही के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे, अर्थात् मृतक की मृत्यु के पश्चात और वसीयत दिनांक 11.07.2012 को पंजीकृत कराई गई। खण्डपीठ ने भी दिनांक 08.05.2026 के आदेश द्वारा वर्तमान आवेदक के संबंध में क्रि विविध रिट याचिका निरस्त कर

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



दी, यह अभिलिखित करते हुए कि वर्तमान आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया अपराध गठित होता है।

7. श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं एक अन्य, (2024) 12 एस.सी.सी. 382 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए बुलाए जाने पर, न्यायालय को अत्यंत सतर्क रहना होगा, क्योंकि गंभीर मामलों में अंतरिम संरक्षण या अभियुक्त को संरक्षण प्रदान किए जाने से न्याय का विफल होना हो सकता है। जब गिरफ्तारी आदेश या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी नहीं है। श्रीकांत उपाध्याय (उपर्युक्त) के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 30 को निम्नानुसार उद्धृत किया गया है:

"30. हम पहले ही यह अभिनिर्धारित कर चुके हैं कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है। यद्यपि अनेक मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जमानत एक नियम है, किंतु किसी भी प्रकार की कल्पना से यह नहीं कहा जा सकता कि अग्रिम जमानत एक नियम है। यह नियम नहीं हो सकती और इसे प्रदान किए जाने का प्रश्न प्रत्येक प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए न्यायालय के सतर्क एवं विवेकपूर्ण विवेक पर छोड़ दिया जाना चाहिए। उक्त शक्ति का प्रयोग करने के लिए बुलाए जाने पर, संबंधित न्यायालय को अत्यंत सतर्क रहना होगा, क्योंकि गंभीर मामलों में अंतरिम संरक्षण या अभियुक्त को संरक्षण प्रदान किए जाने से न्याय का विफल होना हो सकता है और विवेचना में काफी हद तक बाधा उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि कभी-कभी इससे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ या साक्ष्य को विचलित किया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं समझा जाए कि हमने यह अभिनिर्धारित किया है कि ऐसे आवेदन पर विचार लंबित रहने के दौरान न्यायालय अंतरिम संरक्षण प्रदान नहीं करेगा, क्योंकि यह धारा किसी व्यक्ति की अनावश्यक गिरफ्तारी के विरुद्ध उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए बनाई गई है और हम कहते हैं कि ऐसे आदेश अत्यंत उपयुक्त मामलों में पारित किए जाने चाहिए। किसी भी स्थिति में, जब गिरफ्तारी आदेश या उद्घोषणा जारी की जाती है, तो आवेदक असाधारण शक्ति का आह्वान करने का अधिकारी

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं है। निश्चित रूप से, यह न्याय के हित में अत्यंत गंभीर एवं असाधारण मामलों में गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति को समाप्त नहीं करेगा। लेकिन जो व्यक्ति निरंतर आदेशों की अवहेलना करता है और फरार रहता है, वह ऐसी जमानत प्रदान किए जाने का अधिकारी नहीं है।"

8. **पी. चिदम्बरम बनाम प्रवर्तन निदेशालय, (2019) 9 एस.सी.सी. 24** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि गिरफ्तारी, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ कई अन्य प्रयोजनों के लिए विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 482 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए। **पी. चिदम्बरम (उपर्युक्त)** के प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 69 को निम्नानुसार पुनरुत्पादित किया गया है:

"69. सामान्यतः, गिरफ्तारी, अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ-साथ कई अन्य प्रयोजनों के लिए विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत का विशेषाधिकार केवल असाधारण मामलों में प्रदान किया जाना चाहिए। न्यायालय को प्रदान किए गए न्यायिक विवेक का समुचित प्रयोग, आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक के न्याय से भागने की संभावना तथा अन्य कारकों पर विचार करने के पश्चात यह निर्धारित करने के लिए किया जाना चाहिए कि यह अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए उपयुक्त मामला है या नहीं। अग्रिम जमानत प्रदान करना कुछ हद तक अपराध की विवेचना के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है और इसलिए, अग्रिम जमानत प्रदान करने के लिए ऐसी शक्ति का प्रयोग करते समय न्यायालय को सतर्क रहना चाहिए। अग्रिम जमानत किसी नियम के रूप में प्रदान नहीं की जानी चाहिए और इसे तभी प्रदान किया जाना चाहिए जब न्यायालय संतुष्ट हो कि उस असाधारण उपचार का सहारा लेने के लिए असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. यहां माननीय उच्चतम न्यायालय के किशोर विश्वासराव पाटील बनाम दीपक यशवंत पाटील एवं एक अन्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 2528 शीर्षक वाले निर्णय का संदर्भ देना समीचीन होगा, जिसके प्रासंगिक प्रस्तर संख्या 14 एवं 15 निम्नानुसार हैं:

"14.....

74. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें अभियुक्त ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे भौतिक तथ्यों एवं प्रासंगिक जानकारी की खोज हो सके। अग्रिम जमानत प्रदान करने से विवेचना में बाधा उत्पन्न हो सकती है। गिरफ्तारी-पूर्व जमानत व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार तथा विवेचना अभिकरण के उस अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए है, जिसके अंतर्गत वह अभियुक्त से अब तक एकत्रित सामग्री के संबंध में पूछताछ कर सके तथा ऐसी और जानकारी एकत्र कर सके जिससे प्रासंगिक जानकारी की बरामदगी हो सके.....

6.....

75. यह अभिनिर्धारित करते हुए कि गिरफ्तारी विवेचना का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है, आदि धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य [आदि धरन दास बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, (2005) 4 एस.सी.सी. 303: 2005 एस.सी.सी. (आपराधिक) 933] में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया था: (एस.सी.सी. पृष्ठ 313, प्रस्तर 19)

"19. सामान्यतः, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक भाग है, जिसका उद्देश्य कई प्रयोजनों को सुनिश्चित करना है। अभियुक्त से अपराध के विभिन्न पहलुओं के संबंध में, जैसे उद्देश्य, तैयारी, अपराध का किया जाना और उसके पश्चात की घटनाओं तथा अपराध में, यदि कोई हो, अन्य व्यक्तियों

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के संबंध में विस्तार से पूछताछ की जानी पड़ सकती है। ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं जिनमें अभियुक्त ऐसी जानकारी प्रदान कर सकता है जिससे भौतिक तथ्यों की खोज हो सके। विवेचना को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाने तथा साक्षियों और अपराध के पीड़ित से जुड़े व्यक्तियों की सुरक्षा करने, उसके गायब हो जाने को रोकने और स्थानीय क्षेत्र में विधि एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसकी स्वतंत्रता को सीमित करना आवश्यक हो सकता है। इन या अन्य कारणों से, गिरफ्तारी विवेचना की प्रक्रिया का एक अपरिहार्य भाग बन सकती है। प्रस्तावित गिरफ्तारी की वैधता पर संहिता की धारा 438 के अंतर्गत आवेदन में विचार नहीं किया जा सकता। विवेचक की भूमिका भली-भांति परिभाषित है और विवेचना की प्रक्रिया में न्यायालय के हस्तक्षेप का क्षेत्राधिकार सीमित है। न्यायालय सामान्यतः किसी अपराध की विवेचना अथवा संज्ञेय अपराध में अभियुक्त की गिरफ्तारी में हस्तक्षेप नहीं करेगा। संहिता की धारा 438 के अंतर्गत किसी आवेदन पर विचार करते समय यदि गिरफ्तारी पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित किया जाता है, तो यह विवेचना में हस्तक्षेप के समान होगा, जो किसी भी स्थिति में धारा 438 के अंतर्गत नहीं किया जा सकता है।"

76. **सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694: (2011) 1 एस.सी.सी. (आपराधिक) 514]** में उच्चतम न्यायालय ने अग्रिम जमानत से संबंधित मामलों पर विचार करते समय विचार किए जाने वाले कारक एवं मापदंड निर्धारित किए हैं। यह अभिनिर्धारित किया गया कि गिरफ्तारी किए जाने से पूर्व आरोप की प्रकृति एवं गंभीरता तथा अभियुक्त की सटीक भूमिका को समुचित रूप से समझा जाना चाहिए और न्यायालय को अभियुक्त के विरुद्ध

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपलब्ध सामग्री का अत्यंत सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए। यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को यह भी विचार करना चाहिए कि क्या आरोप केवल आवेदक को गिरफ्तार करके उसे क्षति पहुंचाने या अपमानित करने के उद्देश्य से लगाए गए हैं।

77. सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे [सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य, (2011) 1 एस.सी.सी. 694: (2011) 1 एस.सी.सी. (आपराधिक) 514] तथा अन्य निर्णयों का संदर्भ देते हुए और यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य [जय प्रकाश सिंह बनाम बिहार राज्य, (2012) 4 एस.सी.सी. 379: (2012) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 468] में उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया: (एस.सी.सी. पृष्ठ 386, प्रस्तर 19)

"19. गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत प्रदान करने के मापदंडों को पूरा किया जाना आवश्यक है और आगे, ऐसी राहत प्रदान करते समय, न्यायालय को उसके कारण अभिलिखित करने चाहिए। अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में प्रदान की जा सकती है, जहां न्यायालय प्रथम दृष्टया इस मत का हो कि आवेदक को अपराध में झूठा फंसाया गया है और वह अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा। (डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन [डी.के. गणेश बाबू बनाम पी.टी. मनोकरन, (2007) 4 एस.सी.सी. 434 : (2007) 2 एस.सी.सी. (आपराधिक) 345], महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन [महाराष्ट्र राज्य बनाम मोहम्मद साजिद हुसैन मोहम्मद एस. हुसैन, (2008) 1 एस.सी.सी. 213: (2008) 1 एस.सी.सी. (आपराधिक) 176] और भारत संघ बनाम पदम नारायण अग्रवाल [भारत संघ बनाम पदम नारायण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



**अग्रवाल, (2008) 13 एस.सी.सी. 305: (2009) 1 एस.सी.सी.**

**(आपराधिक) 1] देखें।)"**

**आर्थिक अपराध**

78. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अंतर्गत शक्ति एक असाधारण उपचार होने के कारण, इसका प्रयोग विरल रूप से किया जाना चाहिए; विशेष रूप से, आर्थिक अपराधों के मामलों में। आर्थिक अपराध एक अलग वर्ग के रूप में खड़े होते हैं क्योंकि वे समाज के आर्थिक ताने-बाने को प्रभावित करते हैं। **प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन [प्रवर्तन निदेशालय बनाम अशोक कुमार जैन, (1998) 2 एस.सी.सी. 105: 1998 एस.सी.सी. (आपराधिक) 510]** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि आर्थिक अपराधों में अभियुक्त अग्रिम जमानत का अधिकारी नहीं है।"

15. **सुशीला अग्रवाल एवं अन्य बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) एवं एक अन्य, (2020) 5 एस.सी.सी. 1** में प्रतिवेदित, इस न्यायालय की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि गिरफ्तारी-पूर्व जमानत प्रदान किए जाने के लिए आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को अपराध की प्रकृति, व्यक्ति की भूमिका, विवेचना की दिशा को प्रभावित करने या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने की उसकी संभावना अथवा न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना होगा। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:-

"92.4. न्यायालयों को अग्रिम जमानत प्रदान की जाए अथवा उसे अस्वीकार किया जाए, इस पर विचार करते समय सामान्यतः अपराधों की प्रकृति एवं गंभीरता, आवेदक को अधिरोपित भूमिका तथा प्रकरण के तथ्यों जैसे विचारों द्वारा निर्देशित होना चाहिए। प्रदान करना है या नहीं, यह विवेक का विषय है; इसी प्रकार, क्या और यदि हां, तो किस प्रकार की विशेष शर्तें अधिरोपित की जानी हैं (या अधिरोपित नहीं की जानी हैं), यह प्रकरण के तथ्यों पर निर्भर करता है और न्यायालय के विवेक के अधीन है।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवेचना प्रारंभिक चरण में है और सत्य का पता लगाने के लिए आवेदक से अभिरक्षा में पूछताछ आवश्यक है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता यह प्रदर्शित करने में असफल रहे हैं कि उसके विरुद्ध पंजीकृत मामला झूठा है। इस स्तर पर, अभिलेख पर ऐसा कोई सामग्री नहीं है जिससे यह अभिनिर्धारित किया जा सके कि आवेदक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई मामला गठित नहीं होता है। अभिलेख पर आई सामग्री तथा प्रारंभिक विवेचना आरोपों के लिए एक युक्तियुक्त आधार स्थापित करती प्रतीत होती है।

11. इस न्यायालय की राय में, नियमित जमानत और अग्रिम जमानत प्रदान करने के मापदंड भिन्न हैं और यह आवश्यक नहीं है कि जो आधार किसी अभियुक्त को नियमित जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त हों, वही आधार उसे अग्रिम जमानत पर रिहा करने के लिए भी पर्याप्त हों। आगे, माननीय उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने **गुरबक्श सिंह सिब्बिया एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस.सी.सी. 565** के प्रकरण में भी यह अभिनिर्धारित किया कि अग्रिम जमानत प्रदान करने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसलिए, इस न्यायालय की दृष्टि में असाधारण शक्ति होने के कारण, इसका प्रयोग नियमित रूप से नहीं किया जा सकता।

12. अतः, उपर्युक्त विवेचित प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरी राय में, आवेदक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी नहीं है।

13. तदनुसार, वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

19 अगस्त, 2026

नितेन्द्र